

न्यायालय: श्री मनीष कुमार पाण्डेय  
अवर न्यायाधीश  
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

Page 1 of 1.

स्वत्व वाद सं0-136/22  
cis 136-22  
दिनांक 29.1.2024

आदेश

दिनांक: 29.01.2024 वाद पुकारा गया। पक्षकारों की हाजिरी है। प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी सं0 2 और 4 की तरफ से एक आवेदन दिया गया कि पक्षकार दिनांक 18.09.2023 को न्यायालय में वकालतन हाजिर हुए तथा अपना बयान तहरीरी आज दे रहे हैं। कागजात को खोजने में विलंब हो गया इस कारण बयान तहरीरी देने में विलंब हुआ। अतः विलंब को माफ करते हुए जवाब स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

मामले में वादी की तरफ से प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया।

उपस्थित पक्षों को सुना। मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण विलंब से लिखित कथन प्रस्तुत किया है अतः न्यायहित में 1000रु खर्च जो अरेराज व्यवहार न्यायालय में जमा किया जाएगा। प्रस्तुत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। वाद दिनांक .....वास्ते साक्ष्य।

अवर न्यायाधीश

अरेराज, पूर्वी चम्पारण।